न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर

राजस्व अपील सख्या– 03/2011

1. श्रीमती कमला पत्नी श्री सोहनलाल साखंला जाति माली निवासी– खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)
2. श्रीमती नौरती पत्नी भैरूलाल साखंला जाति माली निवासी– मुकाम पोस्ट करनोज कुआ रूपारेल नागेलाव तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राज0)
3. श्रीमती प्रेम पत्नी श्री नाथूलाल जाति माली निवासी– जादमो की ढाणी, जेठाना वाया मांगलियावास जिला अजमेर (राज0)
4. श्रीमती लीला पत्नी श्री गिरधारीलाल निवासी– खाडिया का खेडा, पोस्ट दुर्गावास वाया काबरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
5. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री सुन्दर भाटी निवासी– नृसिंहपुरा ब्यावर जिला अजमेर
6. श्रीमती नर्बदा पत्नी श्री लालचन्द गहलोत निवासी– कार्तिक नगर, बिजयनगर रोड ब्यावर जिला अजमेर

—– अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री काना
2. श्री रामस्वरूप पुत्र स्वर्गीय श्री काना
3. श्री छगनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री काना
4. श्री प्रहलाद पुत्र स्वर्गीय श्री काना
5. श्री मती हाफू पत्नी श्री काना
   समस्त जाति माली निवासी– दानाजी की ढाणी,खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर
6. श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री मोहनलाल निवासी– खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार महोदय,तहसीलपरिसर मसूदा (राज0)

—– प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरण संख्या 1444 दिंनाक 05.01.2002 तथा नामान्तरण स0 48 दिंनाक 05.07.2010 को निरस्त करने एंव नये नामान्तरण खोलने बाबत।

1. श्री अनिल मिश्रा
   वकील अपिलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश कलवार
   वकील अप्रत्यर्थीगण
3. पैरोकार प्रत्यर्थी स0 7
   उपस्थित

निर्णय

दिंनाक:–07.12.2016

इस अपील आवेदन मे अपीलार्थीयागण ने साराशंत निवेदन किया है कि अपील मे प्रश्नगत आराजी ख0 न0 1161 रक्बा 6–10–00 बीघा भूमि पूर्व मे काना एंव सुखदेव की बहिस्से बराबर 1/2 हिस्से से सयुंक्त खातेदारी की भूमि थी। अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थी स0 1 से 5 आपस मे भाई बहन है। वे सभी स्व0 काना जी के पुत्र एंव पुत्रिया है। कानाजी की मृत्यू के बाद से सभी भाई बहन संयुक्त रूप से प्रश्नगत भूमि पर मनेआज्ञा बटवारे से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा अपने अपने हिस्से की उपज लेते आ रहे है। बदनियति से कानाजी की मृत्यू

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

पर प्रत्यर्थी स0 1 से 5 ने अपीलार्थीगण का नाम उनकी विरासत मे मिली भगत नही लगने दिया है और ना0क0स0 1444 दि0 05.01.2002 अकेले अपने नाम करवा लिया है तथा प्रश्नगत आराजी को दिनांक 10.06.2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रत्यर्थी स0 6 को विक्रय कर दिया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को प्रथम बार दिनांक 10.04.2011 को जब प्रत्यर्थी स0 6 ने खेत खडाने आई। तब हुई उसके बाद वह पुनः दिनांक 15.06.2011 को आई तब हुई लेकिन अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी स0 6 को प्रश्नगत आराजी पर कब्जा नही करने दिया है। प्रत्यर्थी स0 6 ने गुपचुप तरीके से विवादित आराजी का रू 2,61,000/– मुआवजा भी अपने पास रख लिया है। अपीलार्थीगण प्रशनगत भूमि के ना0क0स0 1444 दिनांक 05.01.2002 एंव प्रत्यर्थी स0 6 के नाम हुए ना0क0स0 48 दिनांक 05.07.2010 को अवैध एंव निष्प्रभावी घोषित कराने तथा अपने हिस्से की मुआवजा राशि प्राप्त करने की अधिकारीणी है। अतः अपील अपीलार्थीगण के हिस्से की सीमा तक स्वीकार कर दोनो ना0क0 खारिज फर्मावे। तथा अपीलार्थीगण के हिस्से का भुगतान दिलवाया जावें। प्रत्यर्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा अपिलार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी से निषेध करवाया जावे।

प्रत्यर्थी स0 1 से 5 ने अपील का कोई जवाब पेश नही किया है। प्रत्यर्थी स0 6 ने अपने जवाब मे अपील कथनो को नकारते हुए सारांशत निवेदन किया है कि अपील मे प्रश्नगत आराजी सहित अन्य अनेक आराजियात अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थीगण स0 1 से 6 की पुश्तैनी आराजीयात है। जो उनके पूर्वज प्रतापजी की विरासत से प्राप्त हुई है। प्रताप जी के दो पुत्र सर्व श्री छोगा व चतराजी थे। स्व0 छोगा के काना जी हुए जो अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थी स0 1 से 5 के पिता थे। काना जी तथा उनके चाचा चतरा जी के मध्य विरासत से प्राप्त भूमियो का वर्षो पूर्व बटवारा हो चुका था और वे अपने अपने हिस्से की भूमियो पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। अपील मे प्रश्नगत भूमि बटवारे से चतराजी के हिस्से आई थी। जिस पर चतरा जी का पुत्र सुखदेव जो प्रत्यर्थी स0 6 के ससुर है वे तथा प्रत्यर्थी स0 6 स्वंय तथा उसके पति सहित काबिज काश्त चले आ रहे थे। लेकिन प्रश्नगत आराजी मे स्व0 काना की विरासत से प्रत्यर्थी स0 1 से 5 का 1/2 हिस्से से नाम लगा होने से उनकी नियत बद हो गई उन्होने प्रत्यर्थी स0 6 के पति को बेदखल करने की कोशिश की तब बिल एंवज प्रतिफल राशि दिनांक 10.06.2010 को प्रत्यर्थी स0 1 से 5 का 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थी स0 6 के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा है। प्रत्यर्थी स0 1 से 5 के नाम ना0क0स0 1444 दिनांक 05.01.2002 को स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख मे अमल कर दिया गया तब से अपिलीर्थीयागण ने कोई उजर नही किया और 10 वर्षो बाद प्रत्यर्थी स0 6 द्वारा खरीदते है। अपिलार्थियागण एंव प्रत्यर्थी स0 1 से 5 ने आपस मे दूर्भी संधी कर बदनियति से यह अपील पेश कराई है। अपिलार्थीयागण के पिता काना की विरासत से प्रत्यर्थी स0 1 से 5 के नाम खाता स0 182 की लगभग 39 बीघा तथा खाता 380 की 7 बीघा भूमि लगी है। जिसमे से प्रत्यर्थी स0 1 से 5 ने दीगर लोगो को भूमिया बेची है जिसका केतागण के नाम ना0क0स0 20 दिनांक 20.02.2010 स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेखो मे अमल किया गया है। इसके बाबत कोई दावा या हक बाबत उजर नही किया गया है। इसी से अपीलार्थीयागण एंव प्रत्यर्थी स0 1 से 5 की मिलीभगती एंव बदनियति साफ नजर आती है। अपील सर्वथा गलत एंव दूर्भी संधी से विधि विरूद्व लाई गई है। जिसे सव्यय निरस्त फर्माने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

अपील पर बहस विद्वान अभिभावक उभय पक्षान सुनी गई। अपिलार्थीयागण के अभिभाषक के तर्क रहे कि अपिलार्थियागण स्व काना एंव प्रत्यर्थी स0 5 की पुत्रिया तथा प्रत्यर्थी स0 1 से 4 की बहने है और उनका प्रश्नगत भूमि मे प्रत्येक का बहिस्से बराबर 1/11 हिस्सा है वह राजस्व अभिलेख मे डाला जावे।

वितर्क मे अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 6 के तर्क रहे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पक्ष मे ना0क0स0 1444 दिनांक 05.01.2002 को स्वीकृत हुआ जिसकी अपील मयाद अधिकतम 90 दिवस बनती है। अपिलार्थियागण के कथन है कि वे अपने अपने हिस्से पर काबिज चली आती है तो उन्हे उक्त ना0क0 की जानकारी क्यो नही हुई और इसके दिनांक 10.06.2010 को बेचान होने व इसका ना0क0 केती के नाम होते होने पर क्योकर हुई। आठ वर्षो मे हिस्से की बात नही आई। इसके अलावा भी प्रत्यर्थी स0 1 से 5 ने दीगर व्यक्तियो को भूमियो बेची है। उनके ना0 क0 हुए है उस पर चारा जाई नही। रजिस्ट्री हुई है उसे निरस्त नही कराया हैं। पिता की मृत्यू कब हुई कोई पता नही। ना0क0 मे भी 10 वर्ष पुर्व होना लिखा लेकिन मृत्यू प्रमाण पत्र का हवाला नही। पुत्रिया किसकी है अपील मे वल्दियत के स्थान पर पति के नाम लिखे है तथा ससुराल का पता दिया है एसे मे काबिज रहना कैसे संभव है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार सितम्बर 2005 के बाद की मृत्यू पर ही पुत्रिया ऐसा लाभ प्राप्ति की अधिकारीणी है। अतः अपील अपिलार्थियागण सर्वथा विधि विरूद्व है अतः सव्यय निरस्त फर्माई जावे।

बहस के परिपेक्ष मे मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपिलार्थीयागण ने उनवान अपील मे किसी भी अपिलार्थी ने अपने पिता का नाम काना नही लिखाया है। अपने अपने पतियो के नाम लिखवाए है। ग्राम पंचायत खरवा द्वारा क्रमाक रहित दिनांक 28.06.2011 को प्रमाण पत्र देना लिखा है। इसमे काना पुत्र छोगा माली मृत्यू लिखा है कब व किस तिथी को कहा हुई कोई अंकित नही । यह प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा प्रस्ताव लेकर दिया जाना नही पाया जाता केवल सरपंच द्वारा दिया हुआ पाया जाता है। ना0क0 1444 दिनांक 05.01.2002 को पंचायत के प्रस्ताव स0 5 से स्वीकार किया गया इसमे स्व0 काना की मृत्यू दिनांक अंकित न होकर 10 वर्ष पूर्व लिखा है जो 1992 या इससे पूर्व भी हो सकता है। वही स्व0 काना की विरासत से प्राप्त अन्य भूमियो के विक्रय पर हुए ना0क0 बाबत न हो तो अपील मे ना ही वकील अपिलार्थीगण द्वारा कोई जवाब है। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि अपील मीमो मयाद मे नही है। स्व0 काना की विरासत से प्रत्यर्थीगण 1से 5 को अन्य कृषि भूमिया भी प्राप्त हुई जिनमे से कुछ दीगर व्यक्तियो को बेची गई जिसका ना0क0स0 20 दिनांक 20.02.2010 मे अर्थात अपीलाधीन ना0क0 के पूर्व हुआ लेकिन इस बाबत कोई उजर नही। इसके अलावा अन्य भूमियो बाबत कोई दावा नही। स्व0 काना की मृत्यू दिनांक की कोई जानकारी नही। अपिलार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यानुसार ही उनके अग्रज स्व0 काना की मृत्यू सन् 2002 मे 10 वर्ष पूर्व होना बताई जो स्वतः 2005 से पूर्व हो चुकी थी। वर्तमान मे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दृष्टिगत रखते हुए अपिलार्थीयागण अपनी अपील पर अपेक्षित अनुतोष प्राप्ति की अधिकारीणी नही पाई जाती।

अतः ग्राम दानाजी की ढाणी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम तहसील मसूदा स्थित आराजी 1161 के लिए स्वीकृत ना0क0स0 1444 दिनांक 05.01.2002 के विरूद्व अपिलार्थीयागण द्वारा लाई गई अपील सव्यय निरस्त की जाती है। अपील खर्च पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिंनाक 07.12.2016 को न्यायालय मे सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 15:23:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: